न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 46/2006

अपीलांट

1. कमलादेवी पत्नी स्वर्गीय श्री भबुतमलजी जाति कलाल निवासी शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही के वारिसान एवं कायम मुकाम

   1/1 रामलाल पुत्र भबुतमलजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी शिवगंज।

   1/2 अमृतलाल पुत्र भबुतमलजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी शिवगंज

   1/3राधादेवी पुत्री पुत्र भबुतमलजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी शिवगंज

   1/4 राजेन्द्र सोलंकी पुत्र भबुतमलजी जाति कलाल आयु वयस्क निवासी शिवगंज, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब शिवगंज।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक : 16/01/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.8.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम एरनपुरा तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 58 की अ,ब, स, द का कुल क्षेत्रफल 01 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 65 की क,ख,ग,घ क्षेत्रफल 01 बीघा 12 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर स्व. भीखा पुत्र धन्ना माली का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की तिथी दिनांक 15.10.55 को बतौर टेनेंट काबिज हाने से इस अधिनियम की धारा 15 की मंशा से स्वतः इस भूमि का खातेदार कृषक बना गया व उसके स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसदार वादग्रस्त आराजी पर खातेदार कृषक के तौर पर काबिज हुए व उक्त वारिसदारो द्वारा वादग्रस्त आराजी का अपीलांट कमला के हित में हस्तानान्तरण हो जाने से वह उक्त आराजी पर बतौर खातेदार कृषक के रूप में काबिज हुई। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की माता ने स्व. भीखा के कायम मुकाम से खरीद की थी एवं वक्त खरीद से उक्त आराजी काबिज काश्त है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर स्व. भीखा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने की तिथी दिनांक 15.10.55 से पूर्व से बतौर टेनेंट काबिज होने से इस अधिनियम की धारा 15 की मंशा से स्वतः ही खातेदार कृषक बन गया, जिसके आधार पर भीखा के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजी पर उसके वारिसान काबिज हुए एवं उनके द्वारा दिनांक 13.06.1972 को उक्त आराजी का अपीलांटगण की माता को कब्जा देने से अपीलांटगण की माता उक्त आराजी की खातेदार कृषक हुई, किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के समय उस विभाग के कर्मचारियो की त्रुटि से उक्त आराजी स्वर्गीय भीका के खातेदारी में दर्ज नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज होने कारण अपीलांटगण की माता द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी घोषित कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.99 को वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए जिला कलक्टर सिरोही ने खसरा नंबर 58 की भूमि को नगर पालिका सुमेरपुर का आवंटन कर दिया, जबकि वादग्रस्त खसरा नंबर 58 की भूमि का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए ऐसा आवंटन Lis- Pendense के सिद्धान्त से सम्पति हस्तानान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 की मंशा के अवैध है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी के अधिकार जो वह उक्त वाद से प्राप्त कर सकते है को प्रभावित नहीं कर सकता है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार शिवगज ने अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने हेतु वर्ष 1999 में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा संख्या 2/99 दायर किया, किन्तु जैर अपील निर्णय तक अपीलांट की माता की उक्त भूमि पर से बेदखली नहीं हुई एवं वह इस पर काबिज काश्त थी जो तहसीलदार शिवगंज के नोटिस क्रमांक/न्यायालय/टीएसकोर्ट/466 दिनांक 10.03.03 व अधीन न्यायालय की राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/03 में आदेशिका दिनांक 22.03.03 से दिनांक 8.8.2006 से स्पष्ट है। उक्त स्थिति में दिनांक 27.03. 2001 को विवादित खसरा संख्या 58 की भूमि पर अपीलांटगण की माता का कब्जा होते हुए भी उसे बगैर बेदखल किये जिला कलक्टर सिरोही उक्त भूमि का आवंटन नगरपालिका शिवंगज को किया जाना विधि में अधिकृत नहीं थे। किन्तु उसके बावजूद जिला कलक्टर सिरोही द्वारा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानो का उल्लंघन करते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 58 का आवंटन नगर पालिका शिवगंज के पक्ष में किया है जो कि कानूनन वैध नही है। जिससे अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के खातेदारी घोषित कराने के पूर्ण अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यो को दरकिनार करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यो से परे जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे। एवं अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम एरनपुरा तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 58 की अ,ब, स, द का कुल क्षेत्रफल 01 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 65 की क,ख,ग,घ क्षेत्रफल 01 बीघा 12 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अपीलांटगण व उसकी माता का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी नगरपालिका शिवगंज को आवंटन की जा चुकी है, जिससे उक्त आराजी के कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम एरनपुरा तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 58 की अ,ब, स, द का कुल क्षेत्रफल 01 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 65 की क,ख,ग,घ क्षेत्रफल 01 बीघा 12 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की माता ने स्व. भीखा से क्रय की थी। अब प्रकरण में मुख्य कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या स्व. भीखा का वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से कब्जा था ? इस संबध में तहसीलदार शिवगंज द्वारा अपने पंत्राक/कोर्ट/99//633 दिनांक 03.05.99 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के अन्तर्गत पैरावाईज सूचना भिजवाई गई, जिसके पद संख्या 03 के अनुसार "यह कि अरठनामे काकडावा का स्वर्गीय पूर्व खातेदार भीका इस अरठ की वाद पत्र पद संख्या 01 में वर्णित आराजी के अलावा इस आराजी से लगती खसरा नंबर 58 व 65 इस वाद पत्र के संलग्न नक्शे (परिशिष्ठ 1 में तई अ,ब,स,द व क,ख,ग,घ) भूमि पर गत सेटलमेंट के समय से काबिज होना पूर्व राजस्व रेकर्ड से ही साबित होता है, वादीणी द्वारा उपरोक्त अरठनामें काकडावा की 1/4 हिस्सा की भूमि जरिये ना. करण संख्या 35 के द्वारा दिनांक 13.06.72 को वादीणी का अ,ब,स,द व वादीणी के पुत्र का कब्जा क,ख,ग,घ के नक्शा परिशिष्ठ की भूमि पर अतिक्रमी का राजस्व रेकर्ड के आधार पर खसरा परिवर्तनशील में संवत 2031 से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है।" जिससे यह स्पष्ट है कि स्व. भीखा का वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से कब्जा काश्त था। तहसीलदार शिवगंज की उक्त रिपोर्ट को दरकिनार किये जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त तथ्य को तहसीलदार शिवगंज द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त अपीलांटगण को धारा 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मंशानुसार साबित करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के दस्तावेजी साक्ष्यो के रूप में गिरदावरी सवंत 2016 से निरन्तर प्रस्तुत की है, जिससे वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में स्व. भीखा व उसके पश्चात अपीलांट की माता का निरन्तर काबिज काश्त होना साबित होता है। अब प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या सेटलमेंट से पूर्व किसी व्यक्ति का किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी पर कब्जा काश्त हो तो क्या उक्त व्यक्ति को धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है अथवा नही ? इस संबध में 1996 आर.आर.डी 232 श्रीमति वैजन्ती और अन्य बनाम मुरलीधर और अन्य, में पेज संख्या 327 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "इस मामले में वादग्रस्त आराजी में से 16 बीघा खाम भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पहले, यानि गिरदावरी सवंत 2009 से 2012 व जमाबंदी एक्सी 8 संवत 2012 में लादू का 16 बीघा खाम भूमि पर उपकृषक की हैसियत से कब्जा था। खातेदारी हको की घोषणा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी/रेस्पोन्स के हक में जारी की है, जिसमे कोई कानूनी भूल नहीं की गई है।" इसी प्रकार आर.आर.डी 63 सीताराम बनाम मंगला 1965 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " यदि कोई व्यक्ति धारा 19 की शर्तो व प्रावधानो के अनतर्गत आता है तो उसे खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है।" इसी प्रकार नंदलाल बनाम नाजीम खान 1988 आर.आर.डी 133 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " प्रत्येक व्यक्ति जो दिनांक 15.10.55 को काश्तकार था। या भूमि पर उपकाश्तकार था(चारागााह को छोडकर) दिनांक 05.04.61 को ऐसी भूमि का खातेदार होगा, बशर्ते कि धारा 19 अध्याय 3 के अन्तर्गत दी गई शर्तो को पूरा करता हो, चाहे उसका नाम वार्षिक रजिस्टर में दर्ज हो अथवा नहीं।" इस प्रकार श्री नत्थू बनाम सेवा 1962 आर.आर.डी 239 उदमीराम बनाम रामदेव 1963 आर.आरडी 331 में यह प्रतिपादित किया गया है कि " धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार उसी व्यक्ति को दिये जा सकते है जिसका नाम भू–अभिलेख में 15.10.55 का बतौर उप कृषक दर्ज है।" इसी प्रकार आर.बी. जे (10) 2003 पेज 205 सरकार बनाम प्रेमशंकर व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि " The Section 19 to the Rajasthan Tenancy Act provides the procedure for acquiring Khatedari rights. Section 19 (1–A) was added to remove the difficulties. This is one of major land reform introduced by the Act to confer Khatedari rights on sub-tenants and tenants of Kasht. The persons falling in this category acquire the Khatedari rights automatically without any step being taken by them. Further in view of the continous possession over the subject land of the wirt petitioners prior the year 1946 and they being sub-tenant on the date of commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

have automatically acquired khatedri rights. इसी प्रकार आर.बी.जे (15) 2008 पेरा नंबर 17 व 21 नेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में उक्त कथन की पुष्टि की गई है। उक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तो से यह स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी आराजी पर वर्ष 1955 से पूर्व से काबिज (काश्तकार) हो तो वह उक्त आराजी का स्वतः खातेदार बना जाता है। यह प्रकरण भी इसी प्रकार का है हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार शिवगंज राजपैरोकार भूमिधारी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति अनुसार स्व. भीका का वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व का कब्जा है एवं सेटलमेंट सवंत 2012 में हुआ था, तब से ही स्व. भीका वादग्रस्त खसरा की आराजी पर कृषक की हैसियत से कब्जा काश्त रहा है, जिससे उक्त परिस्थितियों में स्व. भीका उक्त वादग्रस्त आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने की तिथी से पूर्व से ही सद्भावी काश्तकार चला आ रहा था। जिससे धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्व. भीका बतौर खातेदार हो गया था एवं बतौर खातेदार व काबिज काश्त होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की माता को बेचान किया, जिसके आधार पर अपीलांटगण की माता ने उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त किया, जिससे उक्त बेचान कानूनन वैध था। उक्त बेचान के आधार पर अपीलांटगण की माता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध में 88, 188 का वाद प्रस्तुत किया था एवं धारा 19(1एए) के अनुसार जो व्यक्ति दिनांक 31.12.69 को वार्षिक रजिस्टर में खुद काश्त का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज है अथवा कोई व्यक्ति जो वार्षिक रजिस्टर में दर्ज नही है, लेकिन खुद काश्त का टिनेन्ट अथवा सब टिनेन्ट है तो उसे खातेदारी अधिकार दे दिए जाएगें। इस संबध में दो वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है। इस तरह धारा 19(2ए) और धारा 19(3) को भी दिनांक 29.12.79 को संशोधित किया गया है। इस संबध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1987 आर. आर.डी पेज 304, 1988 आर.आर.डी, पेज 585 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के दौरान धारा 19 के तहत आवेदन पेश नहीं करता है, तो वह व्यक्ति धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कभी भी वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपना अनुतोष अर्थात् खातेदारी प्राप्त कर सकता है। अपीलांटगण की माता ने स्व. भीका से उक्त आराजी खरीद की थी, एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया, जो उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण की माता ने वादग्रस्त आराजी के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 30.03.99 को वाद प्रस्तुत किया, किन्तु जिला कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सिरोही ने उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 27.03.2001 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 58 की भूमि का आवंटन नगरपालिका शिवगंज का कर दिया। इस संबध में संपति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में यह स्पष्ट अंकन है कि "जम्मू कश्मीर राज्य को छोडकर भारत सीमाओ के अंदर प्राधिकारवान या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओ के परे स्थापित किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्यवाही के लंबित रहते हुए जो दुस्संधिपूर्ण न हो और जिसमे स्थावर सम्पति को कोई अधिकार प्रत्यक्षः और विनिर्दिष्टित प्रश्नगत हो, वह सम्पति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निर्बन्धनो के साथ, जैसे वह अधिरोपित करे, अन्तरित या व्ययनित की जाने के सिवाय ऐसे अन्तरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधीन, जो उसके दिया जाए, अधिकारो पर प्रभाव पडे।" उक्त धारा में यह स्पष्ट है कि किसी न्यायालय में किसी प्रश्नगत आराजी के संबध में कोई भी वाद अगर विचाराधीन है तो उक्त वाद के विचारण के दौरान होने वाला अंतरण उक्त आराजी पर किसी प्रकार से प्रभावी नहीं होगा एवं ऐसा अंतरण वाद के निर्णय के अधीन होगा। इसी प्रकार इस संबध में Transfer of property Act (4 of 1882), S-52-Lis pendens-Title suit-Alteration or change made to suit property during pendency of suit- Hit by principle of lispendens. इसी प्रकार आर.बी.जे (7) 2000 पेरा संख्या 6 बाबू बनाम रामप्रसाद में यह प्रतिपादित किया गया है कि TRANSFER OF PROPERTY ACT – 1882 SECTION 52 – Land cannot be transferred during the pendency of suit. The present appellants have purchased the disputed land on 18-09-74 after temporary injunction order was vacated on 17-09-74. The defendant seller Murli died on 24.09.74. Therefore looking to these facts the transfer of land was made during the pendency of the suit which cannot be made as per provisions of Section 52 of T.P. Act. Further the Murli who sold the land died after six days from the date of transfer, Therefore it is clearly established that Murli was not in healthy condition when he transferred the land. Therefore, the transfer is not valid. उक्त न्यायिक दृष्टान्तो में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी प्रश्नगत आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के संबध में अगर किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है तो उक्त वाद के विचारण के दौरान होने वाला अंतरण उक्त आराजी पर किसी प्रकार से प्रभावी नहीं होगा एवं ऐसा अंतरण वाद के निर्णय के अधीन होगा। हस्तगत प्रकरण में जिला कलक्टर सिरोही ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण की माता द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 58 के संबध मे प्रस्तुत वाद विचाराधीन होते हुए भी उक्त खसरा की भूमि का आवंटन नगर पालिका शिवगंज को किया गया, जो सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 व उक्त न्यायिक दृष्टान्तो की रोशनी मे वैध नहीं है। जिससे वाद के विचारण के दौरान किया गया आवंटन उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के अधीन है। जिससे कानूनन अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी के संबध में धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने संपति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानो एवं अपीलांटगण की माता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो व तहसीलदार शिवगंज (राजपैरोकार) सरकारी भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत पैरावाईज जवाब में स्व. भीका का वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट से पूर्व का कब्जा होने बाबत की गई स्वीकारोक्ति का दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/99 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.8.2006 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांटगण को तहसीलदार शिवगंज (राजपैरोकार भूमिधारी) की स्वीकारोक्ति (जिसके अनुसार स्व. भीका का उक्त आराजी पर सेटलमेंट के समय से कब्जा काश्त होना माना है) के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम एरनपुरा तहसील शिवगंज के वाद पत्र के संलग्न नक्शे (परिशिष्ठ 1 में अ,ब,स,द तथा क,ख,ग,घ) खसरा संख्या 58 की अ,ब,स,द का कुल क्षेत्रफल 01 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 65 की क,ख,ग,घ क्षेत्रफल 01 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अपीलांटगण का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्टगण अपीलांटगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। तद्‌नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली